न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 94 / 2017

1. सुशील कुमार पुत्र श्री उदाराम जाति बिश्नोई निवासी लठट्‌ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. उदाराम पुत्र श्री नानुराम जाति बिश्नोई निवासी लट्ठावाली तहसील व जिला श्रीगगानगर।
2. सुमित्रा पुत्री उदाराम पत्नी राजेन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 7 एल.के.एस. ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. माया पत्नी बंशी पुत्री उदाराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फालिल्का (पंजाब)
4. शकुन्तला पत्नी ओम प्रकाश पुत्री उदाराम जाति बिश्नोई निवासी 7 एल.के.एस. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. स्टेट आफ रास्थान जरिये तहसील श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता — वादी
2. श्री सन्दीप बिश्नोई अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.06.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के दादा नानुराम उर्फ लालचन्द के नाम वाके चक 9 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 10 सालम, किला नम्बर 13 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 14 व 15 सालम कुल 12.10 बीघा व मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 10 सालम किला नम्बर 13 में 10 बिस्वा, 14, 15, सालम कुल 12.10 बीघा दोनों मुरब्बो में कुल 25 बीघा भूमि दर्ज कागजात माल थी। नानुराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि नानुराम की पत्नी बाली बाई, पुत्र उदाराम नरसीराम औम प्रकाश व पुत्रिया कमला व रामप्यारा को प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी संख्या 1 की बहनों नें कमला व रामप्यारी नें अपनें हिस्सा की भूमि अपनें भाईयों के हक में जरिये दस्तबरदारी दे दी थी। और माता बाली बाई की भूमि भी प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के भाईयों को दे दी थी इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 13 व 40 की 25.00 बीघा भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 उदाराम औम प्रकाश व नरसीराम खातेदार काश्तकार हो गये थे और तीनों भाईयों नें मुरब्बा नम्बर 13 व 40 की 25 बीघा भूमि का आपस में बंटवार कर लिया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

था। और इस बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 10/2 में 0.211 कुल 1.476 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 40 में किला नम्बर 13/2 में 0.127 हैक्टर व किला नम्बर 14 व 15 सालम कुल 0.633 हैक्टर दोनों मुरब्बो में कुल 2.109 हैक्टर भूमि दर्ज कागजात माल है प्रतिवादी संख्या 1 के पास उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है। और जद्दी जायदाद भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार है नानुराम के नाम से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की जमाबन्दी की नकल संलग्न वाद पत्र है।

AS/2

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 नें आपस में घरू बंटवारा कर रखा है और वादी के हिस्सा में मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 4 की कुल 4.00 बीघा भूमि आई हुई है। वादी इस भूमि का खातेदार है और उक्त भूमि को अपनें नाम से दर्ज करवानें का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 नें उक्त भूमि पर ऋण ले रखा है और उक्त भूमि का ऋण प्रतिवादी संख्या 1 ही अदा करनें का अधिकारी है। परन्तु उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है तो उक्त भूमि पर ऋण वादी स्वयं अदा करनें को तैयार है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहनें है और अपनें सुसराल में आबाद है प्रतिवादी संख्या 2 व 4 नें बंटवारा में कोई भूमि नहीं ली है और कुल भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ही काबिज है। वादी नें प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त भूमि अपनें नाम करवानें बाबत कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 आजकल करते रहे और दिनांक 05.06.2017 को ऐसा करनें से साफ इन्कार कर दिया। यहि वाद कारण है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :—

1. घोषित किया जावे कि वाके चक 9 एम.एल. लट्ठावाली के खाता संख्या 8/4 के मुरब्बा नम्बर 13 व 40 की 2.108 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की दर्ज पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी का पैदायशी हक है और उक्त भूमि के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक सालम का वादी खातेदार काश्तकार है।
2. खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
3. अन्य कोई अनुतोष वादी के हित में हो प्रदान करवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 13.06.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री सन्दीप बिश्नोई अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रथम पक्ष वादी एवम् द्वितीय पक्ष आपस में पिता पुत्र व भाई बहन है द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाके चक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 9 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 10/2 में 0.211 कुल 1.476 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 40 में किला नम्बर 13/2 में 0.127 हैक्टर व किला नम्बर 14 व 15 सालम कुल 0.633 हैक्टर दोनों मुरब्बो में कुल 2.109 हैक्टर भूमि दर्ज कागजात माल है। प्रथम पक्ष वादी एवम् द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 1 नें आपस में घरू बंटवारा कर रखा है और वादी के हिस्सा में मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 4 कुल 4.00 बीघा भूमि आई हुई है द्वितीय पक्षकार प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। और वादी प्रथम पक्ष मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 4

लगातार 3

अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

पर काबिज है। वादी प्रथम पक्ष को मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 4 की 4.00 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है है तो द्वितीय पक्षकार सहमत है। इसमें द्वितीय पक्ष को कोई एतराज नहीं है।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय आवेदित है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किये जानें पर चक 9 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 10/2 में 0.211 कुल 1.476 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 40 में किला नम्बर 13/2 में 0.127 हैक्टर व किला नम्बर 14 व 15 सालम कुल 0.633 हैक्टर दोनों मुरब्बो में कुल 2.109 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की विरासतन भूमि होनें के कारण तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

—:: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत चक 9 एम.एल. के खाता संख्या 8/4 के मुरब्बा नम्बर 13 व 40 में कुल 2.109 हैक्टर भूमि में से 1.012 हैक्टर भूमि का वादी सुशील कुमार पुत्र श्री उदाराम जाति बिश्नोई निवासी लठ्टावाली को खातेदार घोषित किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :—

1. सुशील कुमार पुत्र श्री उदाराम जाति बिश्नोई निवासी लठ्टावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :—

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
9 एम.एल.	8/4	13	1/.253, 2/.253, 3/.253, 4/.253,	1.012 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 13.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लठ्टावाली के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर